P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण एवं समाज

अर्जुन लाल ओलानिया
शोधार्थी,
समाज शास्त्र विभाग,
म.द.स.विश्वविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना और उन्हे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध व अलगाव से मुक्ति प्रदान करना है। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने को परिकल्पना, उनके उत्थान के लिए और लैगिंक असमानता तथा भेदभाव के उन्मूलन हेतु एक सषक्त एवं अनिवार्य माध्यम के रूप में की गई है। इस परिकल्पना का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान भी महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की अनिवार्य सुनिश्चितता प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : असमानता, अलगाव, सुनिश्चितता सोसाएटी, परिवार, नियोजन

प्रस्तावना

वर्ष 1993 भारतीय महिलाओं की उन्नति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है जब ग्राम और जिला स्तरों पर महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के उद्देष्य से हमारे संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन से स्त्री पुरूष के मध्य सदियों से चली आ रही असमानता की खाई को पाटने का मार्ग समानता का मार्ग और अधिक प्रशस्त हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इस आरक्षण के माध्यम से महिला वर्ग आगे आ पाया हे, पंचायत में उनकी भागीदारी के पश्चात वे अपने प्रदत अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हुई है इन प्राप्त अधिकारों से उनका राजनैतिक सशक्तिकरण कितना हुआ है और इसके उपरांत राजनीति के प्रति उनका अभिमत क्या है।

पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं विशेषतः महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है इससे जाति एवं लिंग आधारित असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस प्रावधान से एक ग्रामीण महिला सत्ता का अहसास और अनुभव प्राप्त हुआ है उसे यह महसूस होने लगा कि राजनीति में उसकी भागीदारी का भी महत्व है। इन्हें देश और समाज के विकास के निर्धारण का अनुभव प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह अपने आप में सामाजिक बदलाव लाने का एक ''खामोश एवं महान क्रांति है।'' जिसने ग्रामीण परिवेश में सामंतशाही और जागीरदारी आदि के विभेद पर आधारित सामाजिक परिवेश में एक महिला को जो सदियों से समाज के स्तर पर विकास प्रक्रिया में सबसे नीचे की सीढ़ी पर थी, तथा जो केवल शोषित थी उन्हें सत्ता में समान भागीदारी मिली है। 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के प्रावधान ने इन महिलाओं को शासन सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर क्रम में लाकर बिठा दिया । इस प्रकार 73 वाँ संविधान संशोधन महिला विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

शिक्षा विशेषतः महिला शिक्षा की दृष्टि से यह देश का पिछड़ा राज्य है। सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में भी महिलाओं की स्थिति पितृ प्रधान सामाजिक स्वरूप एवं सामान्तवादी समाज के कारण पिछड़ेपन की ही रही है। शोध का अध्ययन क्षेत्र अजमेर संभाग की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं जिसमें चार जिले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के सम्मिलित किया गया है।

भारत के ऐतिहासिक रंगमंच पर राजस्थान की भूमिका सदैव अद्वितीय बनी रही है। राजस्थान की इस भूमि का एक – एक कण यहां के स्वाभिमान गौरव देशभक्ति और अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों के रक्त से रंजित है। साथ ही यहाँ की वीरांगनाओं ने जौहर की धधकती आग में सहर्ष अपने प्राणों की आहुति देकर जो महान आदर्श प्रस्तुत किये हैं उनकी समता के उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में मिलना अत्यंत दुर्लभ है।

राजस्थान भारतवर्ष का प्रथम सबसे बड़ा राज्य है, जो 23˚3′ उतरी अक्षांश से 30˚ 12′ उतरी अक्षांश तथा पूर्वी देशान्तर से 78˚ 17′ पूर्वी देशान्तर के

मध्य स्थित है। राजस्थान राज्य भारत देश की उत्तर पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी भी है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है और उत्तर में पंजाब व हरियाणा, पूर्व में उत्तरप्रदेश, दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश स्थित है।

महिलाओं की स्थिति

भारतीय समाज में बाल विवाह की कुप्रथा एवं कन्याओं को पराया–धन समझने की मानसिकता ने बालिकाओं का बचपन ही नष्ट कर दिया और अल्प आयु में ही उन पर घर–गृहस्थी की जिम्मेदारियों का भार आ पड़ता है। साथ ही ऐसी मानसिकता वाले देश में षिक्षा एवं रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलने वाली महिलाओं को परम्परागत सामाजिक तंत्र की सुरक्षा के आगे भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। नवीन सामाजिक मूल्यों, प्रभावी कानून एवं प्रवर्तन प्रथाओं के अभाव में राजस्थान की महिलाओं को एक गंभीर संक्रमण काल से गुजरना पड़ रहा है। वर्ष 1991–92 में ऐ. के. शिवकुमार द्वारा निर्मित भारत के 15 राज्यों की मानव विकास सूची के अनुसार राजस्थान को बारहवाँ स्थान प्राप्त है। सूची के अनुसार राजस्थान की बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति है लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ी स्थिति है।

किसी भी समाज में महिला की स्थिति उस देश व समाज के विकास की स्थिति को व्यक्त करती है। लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और राजनीतिक सहभागिता जैसे संकेतक समाज में महिलाओं की स्थिति को इंगित करते हैं। अतः महिला विकास के लिए नीति–निर्धारण करने से पूर्व उनकी स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अन्य शब्दों में महिला विकास का आंकलन समाज में उनकी स्थिति के आधार पर ही किया जा सकता है। चूंकि जनांकिकीय आँकड़े महिलाओं की स्थिति दर्शाने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अतः राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को प्रदेश में उनके लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, जीवन–प्रत्याषा, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। लिंग अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या से है। लिंगानुपात समाज में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक – आर्थिक दशा एवं उनकी स्थिति का परिणाम ही होता है। लिंगानुपात किसी भी समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी स्थिति को समझने का उपयोगी संकेतक होता है।

वर्ष 1901 में भारत का लिंगानुपात 972 तथा राजस्थान का लिंगानुपात 905 रहा। वर्ष 1951 में भारत पर लिंगानुपात 946 तथा राजस्थान का लिंगानुपात 922 रहा है। वर्ष 1991 में भारत में लिंगानुपात 929 तथा राजस्थान में 910 रहा। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से राष्ट्र में 15वां स्थान तथा वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का 18वां स्थान रहा। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 तथा राजस्थान में लिंगानुपात 922 हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरूषों के मुकाबले प्रति हजार जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या 926 है। इसके साथ ही जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में 0–6 आयु वर्ग की लड़कियों की संख्या तेजी से घट रही है। इस आयु वर्ग के बच्चों का राजस्थान प्रदेश में प्रति हजार का लिंगानुपात लड़कों पर लड़कियों की संख्या 883 है। जबकि भारत में यह लिंगानुपात 914 है।

वैवाहिक आयु

बाल – विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (संषोधित 1978) के अन्तर्गत विवाह हेतु वर–वधू की उम्र क्रमषः 21 व 18 निश्चित की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह दोषपूर्ण है। वर्ष भर में भारत में होने वाले लगभग 45 लाख विवाहों में से 30 लाख विवाहों में लड़कियों की उम्र 14 से 19 वर्ष की ही होती है। जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विवाहित लड़कियों में से 36 प्रतिशत लड़कियों की आयु 13–16 वर्ष के बीच पायी गई है। इस तरह 17–19 वर्ष की आयु में विवाहित किशोरियों में से 64 प्रतिशत या तो माँ बन चुकी होती है या प्रथम गर्भावस्था की स्थिति में होती है।

उद्देश्य

1 राजस्थान के संदर्भ में, विवाह की औसत उम्र 15.4 वर्ष है।
2 राजस्थान का कोई भी जिला ऐसा नहीं है, जहाँ विवाह की औसत उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर हो।
3 भीलवाड़ा व जोधपुर जिलों में औसत क्रमशः 11.1 वर्ष तथा 11.7 वर्ष ही है।
4 राजस्थान में 15 वर्ष की आयु तक 26.7 प्रतिशत लड़कियों की शादी, 17.3 प्रतिशत लड़कियों का गौना या पारिवारिक जीवन शुरू हो जाता है तथा 15–17 वर्ष आयु वर्ग में 33.7 प्रतिशत लड़कियों की शादी, 43.8 प्रतिशत का गौना हो जाता है।

18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही 60.4 प्रतिशत लड़कियों की शादी तथा 61.1 प्रतिशत लड़कियों का गौना हो जाता है। राजस्थान प्रदेश मं प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत लगभग 30 प्रतिशत बच्चों का विवाह हो जाता है। राजस्थान डवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार राजस्थान में लड़कियों के विवाह की औसत आयु, 15.1 वर्ष ही है। एन. एच. एस.–3 (2005–06) के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के विवाह की औसत आयु 15.3 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 49 आयु वर्ग में महिलाओं के विवाह की औसत आयु 15.3 वर्ष ही रही है जबकि इसी आयु वर्ग में पुरूषों के विवाह की औसत आयु 19 वर्ष है।

महिला स्वायत्तता के क्षेत्र में भी प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सोसायटी के द्वारा महिला स्वायत्तता विषय पर किए गए एक सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान प्रदेश में महिलाओं द्वारा निर्णय लेने में देश के अन्य प्रान्तों की महिलाओं की तुलना में स्थिति काफी कमजोर है अर्थात प्रदेश की महिलाएँ साधारण से निर्णय लेने में भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत विवाहित महिलाएं ही अपने पीहर जाने संबंधी निर्णय ले सकती है। जबकि प्रदेश की 60 प्रतिशत महिलाएं पीहर जाने संबंधी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। 81 प्रतिशत महिलाएं बाजार जाने के निर्णय लेने में भी

स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश की अधिकांश महिलाएं अर्थात 60 प्रतिशत महिलाएं अपने स्वास्थ्य प्रजनन एवं परिवार नियोजन संबंधी मूलभूत निर्णय लेने में भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में महिलाएँ स्वयं के बारे में निर्णय लेने में भी स्वतंत्र नहीं है अतः महिला विकास में भी पीछे रहना उनकी विवशता है।

महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर

राजस्थान में महिला विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता का एक मुख्य आधार यहां की महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर भी है। महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर से आशय आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देने के अर्थ में महिलाओं के प्रतिशत से है।

राजस्थान में कार्यक्रमों में भागीदारी के दर मात्र 9.32 प्रतिशत ही है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में महिलाओं की कार्यों में भागीदारी कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में महिलाओं की कार्य में भागीदारी की दर में भिन्नता पायी जाती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी की दर भीलवाड़ा जिले में 18.87 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की कार्य में न्यूनतम भागीदारी की दर धौलपुर जिले में 1.16 प्रतिशत रही। राजस्थान में यह दर 9.32 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

मानव विकास सूची 2000 के अनुसार भारत में महिला की जीवन प्रत्याशा (जीवन पर) 63.3 है। राजस्थान में महिलाओं के जीवन प्रकाशित आयु पुरूषों की अपेक्षा कम है तथा वैज्ञानिक प्रमाण, साधनों के बावजूद इसमें निरन्तर कमी की प्रवृति बनी रहीं है। राजस्थान में 1961–70 के दशक में पुरूषों की जीवन प्रत्याशित आयु 51.6 वर्ष तथा महिलाओं की 49.3 वर्ष थी। 1981–85 में यह दर क्रमशः 59.6 वर्ष तथा 59 वर्ष आंकी गयी, जो कि वर्ष 1986–90 में बढ़कर क्रमशः 61.8 वर्ष तथा 61.7 वर्ष हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में महिलाओं की जीवन प्रत्याषा पुरूषों की तुलना में कम है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन अशिक्षा बाल विवाह कम उम्र में गर्भधारण करना, कुपोषण, घर एवं कृषि कार्यो का भार, स्वास्थ्य की अनदेखी आदि कारण प्रमुख हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

भट्ट, शान्ता, वूमन पॉलियामेन्टरियन आफ इंडिया, शिवा पब्लिक डिस्ट्रब्यूटरस, उदयपुर, 1995.

बेग ताराअली, इंडियन विमेन पॉवर, सी, चंद दिल्ली, 1996.

घेडली रेहाना, विपेज पंचायत इन इंडिया, न्यू देहली, 1999.

जोशी, आर. पी. रूपा मंगलानी, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.

जोशी, आर. पी. पंचायत राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी, बुक हाऊस, जयपुर, 1998.

झा. चेतकर, भारतीय स्थानीय स्वशासन, नोवेल्टी एंड कम्पनी, पटना, 1999.

एच. डी. मालवीया, विलेज पंचायत इन इंडिया न्यू देहली, 1986.

हेनरी मेडिक, पंचायत राज. ए स्टडी आफ रूरल लॉकल गवर्नमेंट इन इंडिया, न्यू देहली, 1990.

हूजा, राकेश, डिस्ट्रीक्ट प्लानिंगः कनसेप्ट, सेटिंग एंड स्टेट लेवल ऐप्लीकेशनस, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 1986.

हूजा, राकेश व माथूर, पी.सी. डिस्ट्रीक्ट एंड डिसेन्ट्रालाइज्म प्लानिंग, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1991.

हुंग टिंकर, द फाउन्डेशन आफ लॉकल सेल्फ, गवर्नमेंट इन इंडिया एंड पाकिस्तान वर्मा, द अथलोन प्रेस, लंदन, 1994.

कौशिक, सुशीला, विमन एंड पंचायत राज, हर आनन्द पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1993.

खंडेला, मानचन्द, महिला सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004.

खान, इल्तिजा, गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बोंबई, 1999.

कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण पोइन्टर पब्लिशस, जयपुर, 2004.

कौर, परमजीत, राजस्थान के ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका का लूणी पंचायत समिति के संदर्भ में अध्ययन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वीकृत पीएचडी, शोध ग्रन्थ, 1990.

मनिकम्बा, पी. वूमन इन पंचायत राज स्ट्रकचर, ग्यान, न्यू देहली, 1999.

माथुर, के. एस., लीडरशीप इन इंडियाः ए केस स्टडी, एशिया बोम्बे, 1997.

महिपाल, 73वें संविधान संशोधन को अधिक कारगर बनाने की जरूरत, कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 1999.